यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **07/2016** से माह **11/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पांडे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **09.12.2020** से **15.12.2020** तक श्री विभास चन्द्र मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मकः- इस कार्यालय की विगत लेखा परीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता एवं श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव पंत**,** लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.07.2016 से 22.07.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 04/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **07/2016** से **11/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) <u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>ः- इकाई द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से डिपॉजिट प्राप्ति के आधार पर कार्य सम्पादन किया जाता है। इकाई द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	2.946	479.123	85.04	81.215	6.771	1252.52	1514.45	217.193
2017-18	6.771	217.193	109.620	112.765	3.626	2406.95	2286.06	338.082
2018-19	3.626	338.082	127.080	128.955	1.751	2748.33	1774.33	1312.08
2019-20	1.751	1312.08	108.38	106.603	3.53	4184.10	3831.95	1664.23
2020-21 (Upto 11/2020)	3.53	1664.23	62.39	62.02	3.9	3436.26	3301.44	1799.05

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष	
					आधिक्य	बचत
2016-17	- शून्य -					
2017-18						
2018-19						
2019 – 20						
2020 -21 (11/2020 तक)						

(iii) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों/अर्द्ध शासकीय विभागों के डिपॉजिट कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार/ग्राहक विभाग द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"सी"** श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत हैः- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।**

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा विभिन्न ग्राहक विभागों से प्राप्त डिपॉजिट से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों / योजनाओं की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2019 एवं 08/2020 (आय)** तथा **03/2020 एवं 08/2020 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में 100 शय्याओं के चिकित्सालय का निर्माण कार्य"** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1: दायित्व का सृजन ` 81.52 लाख

नियमानुसार निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिये। कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून के अंतर्गत पूर्ण किए गए निर्माण कार्यो से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि 05 कार्यो जिनकी स्वीकृति 03/2009 से 06/2020 के मध्य ` 2088.88 लाख की प्राप्त हुई थी, के सापेक्ष ग्राहक विभाग द्वारा कुल ` 1477.64 लाख की धनराशि निक्षेप कार्यो के सम्पादन हेतु विभाग को अवमुक्त की गयी थी। आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त अवमुक्त धनराशि ` 1477.64 लाख के सापेक्ष खंड द्वारा संप्रेक्षा अवधि (नवम्बर 2020) तक ` 1558.035 लाख की धनराशि के कार्य संपादित कराये गए थे अर्थात कार्यो पर कुल प्राप्त धनराशि ` 1477.64 लाख के सापेक्ष खंड द्वारा ` 81.52 लाख के कार्यो का अतिरिक्त निष्पादन किया गया था जिनके भुगतान लंबित थे। विवरण निम्नवत है—

(` लाख में)

क्र0 सं0	योजना क्र सं	योजना का नाम	स्वीकृति माह/राशि	अवमुक्त	DOS/DOC	कुल व्यय	अतिरिक्त व्यय
1	94	चालक प्रशिक्षण संस्थान मे ड्राइविंग रेंज का निर्माण	3/2006 388.30 पुनरीक्षित 03/2009 488.43	468.53	5/2006 12/2009	488.27	19.74
2	304	अभियोजन निदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण	06/2018 06/2019 450.73	270.00	11/2018 12/2020	286.86	16.86
3	314	उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा भवन आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण	01/2019 492.00	437.00	05/2019 12/2020	442.79	6.91
4	357	दून चिकित्सालय मे प्रस्तावित 150 बेड़ो हेतु अस्थाई रूप से वार्डो का निर्माण	06/2020 260.07	130.00	7/2020 10/2020	152.01	22.01
5	325	राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलागढ़ विकास खंड सहसपुर देहारादून के नवींन भवन का निर्माण	02/2019 एवं 06/2020 397.650	172.11	06/2019 12/2020	188.11	16
		योग	2088.88	1477.64		1558.04	81.52

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त कार्यो मे अवशेष धनराशि अवमुक्त होनी है एवं उक्त समस्त कार्यो पर अवशेष धनराशि अवमुक्त होने पर अतिरिक्त व्यय स्वतः समाप्त हो जाएगा। इकाई के उत्तर से स्पष्ट था कि निक्षेप कार्यो के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से अधिक कार्य संपादित कराये जाने के कारण ` 81.52 लाख का दायित्व सृजित किया गया था।

अतः निक्षेप कार्यो पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिक व्यय के फलस्वरूप दायित्व सृजन ` 81.52 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2: ` 314.84 लाख के व्ययोपरांत अपूर्ण निर्माण कार्य बगैर हस्तांतरण की कार्यवाही के ग्राहक विभाग द्वारा उपयोग मे लाया जाना।

आई टी आई राजपुर मे आवासीय एवं अनावासीय भवनो का निर्माण कार्य की स्वीकृति मार्च 2005 मे ` 177.74 लाख की प्राप्त हुई थी। वन विभाग से भूमि हस्तांतरण मे विलंब होने के फलस्वरूप प्लिंथ एरिया दरो मे वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित स्वीकृति अगस्त 2008 मे ` 313.84 लाख की प्रचलित दरो पर प्रदान की गयी थी। आगणन डी एस आर 2016 की दरो के सापेक्ष पुनरीक्षित कर ` 497.37 लाख का प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष ` 490.99 लाख की तकनीकी स्वीकृति मई 2017 मे प्रदान की गयी थी। प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यशाला भवन, शीर्ष जलाशय, पम्प हाउस प्रशासनिक भवन एवं चार नग टाइप 4 आवासो का कार्य निष्पादित किया जाना था। उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध गठन की कार्यवाही न करके उक्त कार्य का निष्पादन कार्यादेश के माध्यम से कराया गया था एवं निर्माण कार्य पर नवम्बर 2020 तक व्यय धनराशि ` 313.84 लाख थी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून मे उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि प्राप्त पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष कार्यशाला भवन, शीर्ष जलाशय, पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया था एवं प्रशासनिक भवन एवं चार नग टाइप 4 आवासो का कार्य क्रमशः 60 एवं 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया था। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य बगैर हस्तांतरण की कार्यवाही के ग्राहक द्वारा उपयोग मे लाये जा रहे थे एवं स्वीकृति के 15 वर्षो के उपरांत भी ` 313.84 लाख के व्ययोपरांत निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से कार्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त कार्य विश्व बैंक पोषण के अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया मे है एवं समस्त पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यो को ग्राहक विभाग को हस्तगत करने हेतु इस इकाई द्वारा पत्राचार किया गया है एवं श्रमिकों एवं सामग्री की दरो मे वृद्धि हो जाने के कारण एवं विश्व बैंक से पोषण की प्रक्रिया के कारण शीघ्र कार्य की निविदा आमंत्रित की जानी प्रस्तावित है।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट था कि कार्य न केवल ` 314.84 लाख के व्ययोपरांत अपूर्ण था बल्कि अपूर्ण कार्य सम्पादन के उपरांत खंड द्वारा स्वीकार किया गया था कि बगैर हस्तांतरण की कार्यवाही के अपूर्ण कार्य को ग्राहक विभाग द्वारा उपयोग मे लाये जाने के फलस्वरूप कार्य संप्रेक्षा अवधि तक अपूर्ण था।

अतः ` 314.84 लाख के व्ययोपरांत बगैर हस्तांतरण की कार्यवाही के अपूर्ण निर्माण कार्य ग्राहक विभाग द्वारा उपयोग मे लाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग II – (ब)

प्रस्तर 3: प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि ` 68046/- की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए। राज्य में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के बिल/वाऊचरों व अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों को किए जा रहे भुगतान के बिलों में प्रयुक्त उपखनिजों की गणना की गयी थी परंतु उक्त आंकलित सामग्री के सापेक्ष न तो ठेकेदारों के देयकों से कोई रॉयल्टी की कटौती की गयी थी और न ही संबन्धित ठेकेदारों से प्रयुक्त सामग्री के निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म जे/एमएम-11) प्राप्त किए गए थे। ऐसे में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ` 194.50 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी की वसूली अपेक्षित थी। नमूना जाँच किए गए प्रकरण निम्नवत हैं: -

S.No.	Contract No.	Name of Contractor	Material Consumed	
			Sand/Fine Sand (Cub.M)	Stone Ballast (Cub.M)
1.	28/GM(G)/2019-20	M/s Girish Kumar	30.37	39.33
2.	22/PM/2019-20	M/s MSA Construction Company	28.1	26.94
3.	23/PM/2019-20	M/s MSA Construction Company	17.09	30.42
4.	10/GM/-2019-20	M/s Ravindra Builder & Engineer	51.05	89.75
5.	08/GM(G)/2020-21	M/s Ravindra Builder & Engineer	12.44	24.36
		Total =	**139.05**	**210.80**

उपरोक्त के संबंध में संबन्धित ठेकेदारों से रॉयल्टी की धनराशि ` **68046/- (139.05+210.80 = 349.85 घ.मी. X 194.50)** की वसूली कर राजकोष में जमा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उपरोक्त के सापेक्ष ` 68046/- रॉयल्टी की धनराशि ठेकेदारों से वसूल कर ली गयी है जिसे वर्तमान माह में राजकोष में जमा करा दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों/वाउचरो से उक्त रॉयल्टी धनराशि की कटौती के कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

अतः ठेकेदारों के बिलों से प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सापेक्ष आगणित रॉयल्टी की धनराशि ` **68046/-** की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या
31/2009-10	शून्य	2**,** 3
11**/** 2011-12	1	1,
41/2016-17	शून्य	1**,**2,3,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान इकाई द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण उपरोक्त अनिस्तारित प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. सी.एस. रजवार	परियोजना प्रबन्धक	02.08.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)